in hire-purchase business in consumer items are fleecing poor consumers in the name of assisting and financing them for the purchase of consumer items;

(b) if so, whether Government have any check on the functioning of such hire-purchase firms; if so, what are the details thereof;

(c) whether the nationalised banks have any lending programme for consumer durables; if so, what are the details in this regard; and

(d) what measures are proposed to be taken by Government to popularise such lending programmes for consumer durables?

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF ECONOMIC AFFAIRS IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI EDUARDO FALEIRO); (a) and (b) In terms of Non-Banking Financial Companies (Reserve Bank) Directions, 1977, as amended from time to time, issued by the Reserve Bank of India, 3 "Hire-Purchase Company" means any company which is a financial institution carrying on as its principal business, hire-purchase transactions or the financing of such transactions. These directions seek to regulate the deposits accepted by these companies, the rate of interest to be paid by the companies on such deposits, the period for which the deposits can be ac-"cepted etc. The Hire Purchase Compaines arc also required to maintain a minimum percentage of liquid assets by keeping at least ten per cent of their dposits in an account with a scheduled bank or in approved securities. Reserve Bank of India has reported that it has no information regarding the fleecing of the people in the name of assisting and financing poor consumers by Hire-Purchase Finance Companies.

(c) and (d) The banks finance purchase of consumer durables under their general lending policy. Nationalised banks hare also introduced certain innovative •chemes such as credit cards etc. for helping/financing of the purchase of consumer durables.

Inflow of foreign money

2166. SHRT HARVENDRA STNGH HANSPAL; Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state;

(a) whether despite strict regulations over inflow of foreign money into India through voluntary organisations under the Foreign Contribution (Regulation) Act of 1976, there is continuous inflow of foreign money, as reported in the Economic Times dated the 17th February, 1988;

(b) if so, what are the details of such organisations in the country and the quantum Of foreign money received by each such organisation during the last three years;

(c) whether there is any machinery to check if irregularities are being committed by these organisations; and

(d) if so, what are the details thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS AND THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI P. CHIDAMBARAM): (a) Inflow of foreign money under Foreign Contribution (Regulation) Act, 1976 is subject to the restriction under the Act. The inflow is regulated as provided under the Law.

(b) As more than 11,900 associations in India are involved, it is not feasible to furnish the details of each association due to the voluminous nature of the information.

(c) and (d) A Monitoring Cell comprising of six Assistant Directors and complementary staff has been set up for keeping an effective check as to the violations of the Foreign Contribution (Regulation) Act, 1976. Accounts and intimations furnished by the recipient organisations are scrutinised by them and in case any irregularity is noticed, action is taken in accordance with the provisions of the Act.

2167. *[Transferred to the 25th March,* 1988].

हिन्दी की उन्नति

2168. **श्री जगदम्बी प्रसाद यादव :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राजभाषा विभाग के सक्रिय न रहने के कारण केन्द्रीय सरकार का कोई कार्यालय सरकारी उपक्रम और अन्य कार्यालय 25 वर्षों के बाद भी राजभाषा अधिनियम के उपबन्धों और 20 वर्ष के पश्चात भी प्रशासनी प्रयोग के वार्षिक कार्यक्रम को लागू नहीं कर सके हैं और इतने पर भी विभाग ने इस संबंध में कोई मूल्यांकन नहीं किया है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि संसदीय राजभाषा समिति समाहीन है, क्योंकि वह राजभाषा अधिनियम के उल्लंघन को रोकने की स्थिति में नहीं है ;

(ग) क्या यह सच है कि बहुत से विभागों, तकनीकी प्रशिक्षण/अनुसंधान संस्थानों के संबंध में इसकी प्रश्नावली निहायत पुरानी और अप्रासंगिक है ; और

(घ) क्या मंत्रालय उक्त विभाग के कार्य में आमूल परिवर्तन करने का विचार रखता है ; यदि नहीं, तो क्या सभी मंत्रालयों द्वारा रोमन लिपि में कम्प्यूटर, टैलेक्स, टेलीप्रिंटर आदि खरीदते रहने की अनुमति दी जाती रहेगी ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चिंतामणि पाणिग्रही) : (क) जी नहीं, । केन्द्रीय सरकार के सभी कार्यालयों में राजभाषा अधिनियम , 1963 तथा राजभाषा नियम, 1976 के उपबन्धों को लागू करने के लिये सक्रिय रूप से प्रयत्न किये जा रहे हैं । इस उद्देश्य की पूर्ति के लिये मंत्रालयों/विभागों तथा अन्य कार्यालयों में विभिन्न प्रकार की समितियां गठित की गयी हैं । कार्यालयों का निरीक्षण किया जाता है और तिमाही प्रगति रिपोर्ट में हिन्दी के प्रयोग में हुई प्रगति के संबंध में आंकड़े मंगवाये जाते हैं, जिनका अध्ययन करके कमियों को दूर करने के अनुदेश किये जाते हैं । हिन्दी के प्रयोग में हुई प्रगति के बारे में एक वार्षिक मूल्यांकन रिपोर्ट भी तैयार की जाती है और संसद् के दोनों सदनों के पटल पर रखी जाती है ।

(ख) संसदीय राजभाषा समिति का गठन राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 4 के अन्तर्गत संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिये हिन्दी के प्रयोग में हुई प्रगति का पुन: अवलोकन करके उस पर सिफारिशें करते हुए राष्ट्रपति को रिपोर्ट भेजने के लिये किया गया है, राजभाषा अधिनियम के उपबन्धों के उल्लंघन को रोकने के लिये नहीं ।

(ग) संसदीय राजभाषा समिति के कार्यालय से प्राप्त सूचना अनुसार समिति द्वारा जो प्रश्नावली तैयार की गई है, वह सरकारी कार्यालयों के बारे में कुछ आधारभूत जानकारी प्राप्त करने के लिये है और इससे यह उद्देश्य पूरा हो जाता है ।

(घ) जी नहीं । हिन्दुस्तान टेलीप्रिंटर लि० द्वारा द्विभाषिक टेलीप्रिन्टर का निर्माण शुरू कर दिया गया है । आशा है कि शीघ्र ही द्विभाषी इलैक्ट्रिक टेलीप्रिन्टर तथा टेलैक्स नेटवर्क दोनों ही उपलब्ध हो जायेंगे और बाजार में बिकने लगेंगे । राजभाषा विभाग केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों द्वारा द्विभाषी टलीप्रिन्टरों को अनिवार्य रूप से खरीदने या लीज पर लेने के आदेश जारी करने के बारे में विचार कर रहा है। सभी सरकारी कार्यालयों में कम्प्यूटर केवल द्विभाषी रूप में खरीदने के आदेश आगे ही दिये जा चुके हैं। केवल रोमन में कार्य करने की सुविधा रखने वाले कम्प्यूटरों की खरीद की अनुमति केवल विशेष परिस्थितियों में ही दी जाती है ।

Construction of Dams in the Western Ghats

2169. SHRI PARVATHANENI UPENDRA: Will the Minister of ENVIRONMENT AND FORESTS be pleased to state;

(a) whether protests have been lodged against the construction of dams in the